



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 मार्च 2013—चैत्र 8, शक 1935

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,  
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2013

क्र. ई.-5-522-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोज श्रीवास्तव, आयएएस., प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग को दिनांक 19 से 29 मार्च 2013 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री मनोज श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में श्री एस. के. मिश्रा, आयएएस., सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, विमानन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. के. मिश्रा, विमानन विभाग के प्रभार से मुक्त होगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2013

क्र. ई.-5-485-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्री के. पी. सिंह, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग को दिनांक 4 से 8 मार्च 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 3 एवं 9, 10 मार्च 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री के. पी. सिंह की अवकाश की अवधि में श्री अजय तिकीं, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा तथा श्रम विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सार्वजनिक उपक्रम विभाग का कार्यभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री के. पी. सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय तिकीं, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री के. पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-670-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्रीमती अलका उपाध्याय, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण, भोपाल को दिनांक 28 फरवरी से 14 मार्च 2013 तक, पन्द्रह दिन का शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती अलका उपाध्याय की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार डॉ. राजेश राजौरा, आय.ए.एस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं पदेन अपर विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका उपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती अलका उपाध्याय द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. राजेश राजौरा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती अलका उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका उपाध्याय अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई.-5-747-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) डॉ. (श्रीमती) वीणा घाणेकर, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को दिनांक 29 जनवरी से 7 फरवरी 2013 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में डॉ. (श्रीमती) वीणा घाणेकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. (श्रीमती) वीणा घाणेकर अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई.-5-861-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती के. वासुकी, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, जावरा, जिला रत्लाम को पूर्व में (दिनांक 19 नवम्बर 2012 से 18 जनवरी 2013 तक, इक्सठ दिन) स्वीकृत शिशु देखभाल अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 19 जनवरी से 4 मई 2013 तक, एक सौ छँ दिन का शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 मई 2013 के पश्चात्वर्ती सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती के. वासुकी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अनुविभागीय अधिकारी, जावरा, जिला रत्लाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती के. वासुकी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती के. वासुकी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2013

क्र. ई.-5-826-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को पूर्व में स्वीकृत (दिनांक 17 जुलाई 2012 से 12 जनवरी 2013 तक Child Adoption Leave) के अनुक्रम में दिनांक 13 जनवरी से 26 फरवरी 2013 तक, पैतालीस दिन का शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2013

क्र. ई.-5-794-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रघुराज एम. आर., आयएएस., कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ को दिनांक 11 से 15 मार्च 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 एवं 16, 17 मार्च 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री रघुराज एम. आर. की अवकाश की अवधि में श्रीमती प्रीति मैथिल, भाप्रसे., अनुविभागीय अधिकारी, निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रघुराज एम. आर. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री रघुराज एम. आर. द्वारा कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती प्रीति मैथिल, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री रघुराज एम. आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रघुराज एम. आर. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2013

क्र. ई.-1-62-2013-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भा.प्र.से., अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री प्रबीण गर्ग (1988), वि.क.अ.-सह-कमिशनर, भोपाल संभाग, भोपाल।	वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण।	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन।
2.	श्री आशीष उपाध्याय (1989) वि.क.अ.-सह-आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त-सह- संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश का अतिरिक्त प्रभार।	वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त।	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन।
3.	श्री पी. के. पराशर (1990), कमिशनर, इन्दौर संभाग, इन्दौर।	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।	-
4.	श्री विश्वमोहन उपाध्याय (1991), आयुक्त, पंचायती राज।	आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण, मध्यप्रदेश।	-

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	श्री के. सी. गुप्ता (1992), आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश.	श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, वित्त निगम, इन्दौर का अतिरिक्त प्रभार.	-
6.	श्री रघुवीर श्रीवास्तव (1992), आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण.	आयुक्त, पंचायती राज.	-
7.	श्री संजय दुबे (1993), श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, वित्त निगम, इन्दौर का अतिरिक्त प्रभार.	कमिशनर, इन्दौर संभाग, इन्दौर.	-
8.	श्री एस. बी. सिंह (1993), कमिशनर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर.	कमिशनर, भोपाल संभाग, भोपाल.	-
9.	श्री उमाकांत उमराव (1996), आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.	आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त-सह-संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश का अतिरिक्त प्रभार.	-
10.	श्री गुलशन बामरा (1997), कलेक्टर, जबलपुर.	आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश.	-
11.	श्री के. के. खरे (1997), कलेक्टर, सतना.	कमिशनर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर.	-
12.	श्रीमती पुष्पलता सिंह (1998), संचालक, ग्रामीण रोजगार.	सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश.	-
13.	श्री जी. पी. कबीरपंथी (1998), कलेक्टर, दतिया.	अपर आयुक्त (राजस्व), सागर संभाग, सागर.	-
14.	श्री राजेश प्रसाद मिश्रा (1998), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार.	कलेक्टर, बैतूल	-
15.	श्री संतोष कुमार मिश्रा (1999), सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश.	कलेक्टर, अशोकनगर	-
16.	श्री मोहन लाल मीना (2001), कलेक्टर, रायसेन.	कलेक्टर, सतना	-
17.	श्री विवेक कुमार पोरवाल (2000), कलेक्टर, बालाघाट.	कलेक्टर, जबलपुर	-
18.	श्री एन. पी. डेहरिया (2001), अपर कलेक्टर, हरदा.	कलेक्टर, अलीराजपुर	-

(1)	(2)	(3)	(4)
19.	श्री अजीत कुमार (2002), कलेक्टर, सिवनी.	अपर आबकारी आयुक्त, ग्वालियर	-
20.	श्री बी. चंद्रशेखर (2002), कलेक्टर, बैतूल.	कलेक्टर, बालाघाट	-
21.	श्री जे. के. जैन (2002), कलेक्टर, अनूपपुर.	कलेक्टर, रायसेन	-
22.	श्री राजेन्द्र सिंह (2002) कलेक्टर, अलीराजपुर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन	-
23.	श्री लोकेश कुमार जाटव (2004) कलेक्टर, नीमच.	कलेक्टर, मण्डला	-
24.	श्रीमती जी. व्ही. रश्मि (2005), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	संचालक, कौशल विकास, जबलपुर.	-
25.	सुश्री स्वाति मीणा (2007), कलेक्टर, मण्डला.	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर.	-
26.	श्री भोंडवे संकेत शान्ताराम (2007), कलेक्टर, अशोकनगर.	कलेक्टर, दतिया	-
27.	श्री विकास नरवाल (2008), अपर कलेक्टर, उज्जैन.	कलेक्टर, नीमच	-
28.	श्री भरत यादव (2008), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट उदय.	कलेक्टर, सिवनी	-
29.	श्री नंद कुमारस (2008), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली.	कलेक्टर, अनूपपुर	-

(2) उपरोक्तानुसार श्री आशीष उपाध्याय द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक कुमार शाह, भाप्रसे (1990), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा संचालक, संस्थागत वित्त एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग का अतिरिक्त प्रभार को केवल संचालक, संस्थागत वित्त एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे। साथ ही श्री शाह को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमुक्त, घुमक्कड़ तथा अर्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक विमुक्त, घुमक्कड़ तथा अर्धघुमक्कड़ जाति कल्याण का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाते हैं।

(3) उपरोक्तानुसार श्री अशोक कुमार शाह द्वारा आयुक्त-सह-संचालक विमुक्त, घुमक्कड़ तथा अर्धघुमक्कड़ जाति कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जे. एन. मालपानी, भाप्रसे (1994), आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण तथा आयुक्त-सह-संचालक विमुक्त, घुमक्कड़ तथा अर्धघुमक्कड़ जाति कल्याण का अतिरिक्त प्रभार, केवल आयुक्त-सह-संचालक विमुक्त, घुमक्कड़ तथा अर्धघुमक्कड़ जाति कल्याण के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(4) श्रीमती वीणा घाणेकर, भाप्रसे (1993), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. परशुराम, मुख्य सचिव।

**वन विभाग**

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2013

क्र. एफ-15-44-2005-दस-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 यथा संशोधित, 2002 की धारा 4(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए सुश्री मंजुला श्रीवास्तव, अधिकारी को जिला कटनी के लिए जिला मानसेवी वन्यप्राणी अभिरक्षक के रूप में राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष के लिए नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**विश्वाम सागर शर्मा, अपर सचिव.**

**आवास एवं पर्यावरण विभाग**

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. एफ-24-01-2012-बत्तीस-1.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 28 (1) के अन्तर्गत निम्नांकित जिलों के अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र के लिए भाड़ा नियंत्रक अधिकारी नियुक्त किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है :—

स. क्र. जिला                    अधिकारी जिसे भाड़ा नियंत्रक  
    नियुक्त किया जाना है

(1)      (2)      (3)

- |          |   |
|----------|---|
| 1 रायसेन | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायसेन     |
|          | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गैरतगंज    |
|          | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिलवानी    |
|          | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेगमगंज    |
|          | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बरेली      |
|          | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गौहरगंज    |
| 2 विदिशा | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विदिशा     |
|          | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बासोदा     |
|          | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरवाई     |
|          | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नटेन       |
|          | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिरोंज     |
|          | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ग्यारासपुर |
|          | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लटेरी      |
|          | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शमशाबाद    |

(1)      (2)

3 भोपाल

- |   |
|---|
| अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हुजुर  |
| अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैरसिया  |
| अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/नजूल अधिकारी, राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर, वृत्त, भोपाल। |
| अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/नजूल अधिकारी, शहर वृत्त, भोपाल।                           |
| अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/नजूल अधिकारी, बैरागढ़ वृत्त, भोपाल।                       |
| अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/नजूल अधिकारी, गोविन्दपुरा वृत्त, भोपाल।                   |
| अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/नजूल अधिकारी, एम.पी. नगर वृत्त, भोपाल।                    |

4 खरगौन

- |  |
|--|
| अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगौन     |
| अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव  |
| अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाहा   |
| अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मंडलेश्वर |
| अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद    |

5 इन्दौर

- |   |
|---|
| अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डॉ. अम्बेडकर नगर, महू, |
| अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कस्बा इन्दौर अनुभाग।   |

- |  |
|--|
| अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राऊ             |
| अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कनाडिया अनुभाग। |

- |  |
|--|
| अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भिंचौली मर्दाना अनुभाग। |
|--|

- |   |
|---|
| अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), परदेशीपुरा       |
| अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), देपालपुर हातोदा। |

- |  |
|--|
| अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर  |
| अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सेन्द्रल कोतवाली क्षेत्र, इन्दौर नगरीय क्षेत्र हेतु। |

6 बड़वानी

- |                                      |
|--------------------------------------|
| अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वानी |
| अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजपुर  |
| अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सेंधवा  |

(1)	(2)	(3)	भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2013
7	बुरहानपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बुरहानपुर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नेपानगर	क्र. एफ-३-२५-२०१२-बत्तीस-१.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 के नियम 17 के अध्यधीन राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को आगामी आदेश तक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ओरछा में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित पद पर नियुक्त किया जाता हैः—
8	अशोकनगर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अशोकनगर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगावली अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चंद्रेंगी	1. श्री सुरेन्द्र सिंह कवका — अध्यक्ष 2. श्री अखिलेश अयाची — उपाध्यक्ष
9	गुना	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गुना अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांचौड़ा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), आरोन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राघौगढ़	3. श्री महेश कवेट — सदस्य 4. श्री रामनारायण ढुबे — सदस्य 5. श्री रामरत्न परिहार — सदस्य 6. श्रीमती सावित्री सिंह — सदस्य 7. श्रीमती सरोज ओझा — सदस्य.
10	सीधी	नजूल अधिकारी, सीधी सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र सीधी. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गोपदबनास अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिहावल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मझौली अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चुरहट अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामपुर- नैकिन.	क्र. एफ-७-३१-२०१२-बत्तीस-१.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 के नियम 17 के अध्यधीन राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को आगामी आदेश तक ग्वालियर विकास प्राधिकरण ग्वालियर में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित पद पर नियुक्त किया जाता हैः—
11	टीकमगढ़	उप जिलाध्यक्ष, टीकमगढ़ (जिले हेतु)	1. श्री देवेश शर्मा — उपाध्यक्ष
12	देवास	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), देवास अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोनकच्छ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बागली अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कन्नौद	2. श्री सुजीत भदौरिया — सदस्य 3. श्री परमिन्द्र शर्मा — सदस्य 4. श्री मदसुदन भदौरिया — सदस्य 5. श्रीमती ममता आर्य — सदस्य 6. श्रीमती ऋष्टु शेजवार — सदस्य.
13	दमोह	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दमोह अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हटा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तेन्दूखेड़ा	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार मालवीय, अवर सचिव.
14	नरसिंहपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गाडरवारा/ तेन्दूखेड़ा. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नरसिंहपुर/ करेली. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गोटेगांव.	विधि और विधायी कार्य विभाग
15	हरदा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरदा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टिमरनी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया.	भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2013
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एल. अहिरवार, उपसचिव.			

फा. क्र. 1(अ) ४-इक्कीस-ब(दो)२००८.—राज्य शासन, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में राज्य शासन से संबंधित प्रकरणों में शासन के पक्ष समर्थन हेतु श्री शशांक शेखर, अधिवक्ता को स्टेन्डिंग कॉर्सिल नियुक्त करता है। श्री शशांक शेखर को रुपये 50,000/-

(रूपये पचास हजार) मासिक पारिश्रमिक, वास्तविक अन्य व्यय एवं यात्रा व्यय नियमानुसार देय होंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी गई सहमति क्रमांक 310-ई-1-35-2009-5-एक, दिनांक 15 अक्टूबर 2012 के परिपालन में श्री शाशांक शेखर द्वारा देयक प्रस्तुत करने पर उनके पारिश्रमिक एवं अन्य वास्तविक व्ययों का भुगतान सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जायेगा।

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2013

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 01).—राज्य शासन, श्रीकृष्णा डागिलया पुत्र श्री अशोक कुमार डागिलया को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर है। उसकी जन्मतिथि 13 जून 1989 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 03).—राज्य शासन, श्री मुकेश कुमार शिवहरे पुत्र स्व. श्री अच्छेलाल शिवहरे को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला पन्ना है। उसकी जन्मतिथि 9 फरवरी 1980 है।

फा. क्र. 3(बी)6-2011-इक्कीस-ब (एक) (अनुपूरक सूची की मेरिट क्र. 03).—राज्य शासन, श्रीमती सुनीता गोयल पुत्री श्री गोविन्द दास गोयल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी है। उसकी जन्मतिथि 24 अगस्त 1975 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 06).—राज्य शासन, श्रीमती वंदना त्रिपाठी पति श्री आशीष त्रिपाठी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला दमोह है। उसकी जन्मतिथि 1 फरवरी 1985 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 08).—राज्य शासन, सुश्री शक्ति खरे पुत्री श्री एस. एन. खरे को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर है। उसकी जन्मतिथि 13 नवम्बर 1982 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 10).—राज्य शासन, श्री सव्यद दानिश अली श्री सव्यद मसूद अली को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला मेरठ (उत्तरप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 14 जुलाई 1985 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 12).—राज्य शासन, श्री मोहम्मद नेयमत हुसैन रजवी पिता श्री मोहम्मद अजमत हुसैन रजवी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला पीलीभीत (उत्तरप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 15 मार्च 1983 है।

फा. क्र. 3(बी)6-2011-इक्कीस-ब (एक) (अनुपूरक सूची की मेरिट क्र. 13).—राज्य शासन, श्रीमती शर्मिला बिलवार पुत्री श्री बालाराम बिलवार को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला धार है। उसकी जन्मतिथि 10 अक्टूबर 1976 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 15).—राज्य शासन, सुश्री स्वाती बजाज पुत्री जय कुमार बजाज को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर है। उसकी जन्मतिथि 10 जुलाई 1988 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 21).—राज्य शासन, सुश्री रिजवाना कौसर पुत्री श्री लियाकत खान को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल है। उसकी जन्मतिथि 15 जुलाई 1982 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 34).—राज्य शासन, श्री अंकित श्रीवास्तव पुत्र श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर है। उसकी जन्मतिथि 31 दिसम्बर 1985 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 38).—राज्य शासन, सुश्री भावना सिंह पिता श्री सुनील कुमार सिंह को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला अलीगढ़ (उत्तरप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 1 सितम्बर 1987 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 41).—राज्य शासन, श्री तपन धारगा पिता श्री बृज किशोर धारगा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला बैतूल (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 16 मई 1982 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 42).—राज्य शासन, सुश्री मोना शुक्ला पुत्री श्री अनिल कुमार शुक्ला को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़) है। उसकी जन्मतिथि 16 सितम्बर 1986 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 45).—राज्य शासन, सुश्री मेघा प्रधान पुत्री श्री बृजेश प्रधान को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 19 फरवरी 1985 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 46).—राज्य शासन, श्रीमती रंजना चतुर्वेदी पति श्री रामबाबू चतुर्वेदी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला दतिया (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 11 जनवरी 1977 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 47).—राज्य शासन, श्री श्रीकृष्ण बुखारिया पुत्र श्री पुरणचन्द्र बुखारिया को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला टीकमगढ़ है। उसकी जन्मतिथि 27 जनवरी 1986 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 49).—राज्य शासन, श्री दिनेश मीणा पुत्र श्री रामप्रसाद मीणा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला देवास (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 3 अगस्त 1982 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 56).—राज्य शासन, सुश्री हर्षिणी यादव पुत्री श्री प्यारेलाल यादव को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला छत्तरपुर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 19 जून 1980 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 64).—राज्य शासन, श्रीमती ऋतुश्री उड़ईके पति श्री विशाल गुप्ता को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर है। उसकी जन्मतिथि 20 सितम्बर 1980 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 73).—राज्य शासन, श्री धर्म कुमार पुत्र श्री मोहनलाल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला उज्जैन है। उसकी जन्मतिथि 16 जनवरी 1980 है।

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2013

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 22).—राज्य शासन, श्री विजय कुमार पाण्डेय पुत्र श्री विश्वनाथ पाण्डेय को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला गोरखपुर (उत्तरप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 10 जुलाई 1986 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 23).—राज्य शासन, श्रीमती स्वन्धश्री सिंह पति श्री अनिल सिंह को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 7 नवम्बर 1981 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 25).—राज्य शासन, श्री अमूल मण्डलोई पिता श्री श्याम कुमार मण्डलोई को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 22 जून 1986 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 29).—राज्य शासन, सुश्री पुनीता चौहान पिता स्व. श्री ओमप्रकाश चौहान को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 12 अप्रैल 1979 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 31).—राज्य शासन, श्री पार्थ शंकर मिश्र पिता श्री उपेन्द्र नाथ मिश्र को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला कुशीनगर (उत्तरप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 15 मई 1984 है।

४ फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 35).—राज्य शासन, श्री नितेन्द्र सिंह तोमर पिता श्री केदार सिंह तोमर को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 1 फरवरी 1987 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 44).—राज्य शासन, श्री रविन्द्र गुप्ता पिता श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 17 जुलाई 1983 है।

फा. क्र. 17(ई)20-2010-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अशोक कुमार जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर की सेवाएं जिला न्यायाधीश (निरीक्षण एवं सतर्कता), इन्दौर वृत्त, इन्दौर के पद पर प्रतिनियुक्त पर नियुक्त करने हेतु, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक उत्तराधेश तक उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

फा. क्र. 17(ई)22-2010-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर की सेवाएं प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.एल.आर. एवं एक्जामिनेशन) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्त पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. डी. खान, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2013

फा. क्र. 1(बी)6-04-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभोग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 फरवरी 2005 के द्वारा श्री पारसमल गोखरू, अति. शासकीय अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, (फास्ट ट्रैक कोर्ट) जिला नीमच को नियुक्त किया गया था।

श्री पारसमल गोखरू, अति. शासकीय अभिभाषक / अति. लोक अभियोजक, (फास्ट ट्रैक कोर्ट) जिला नीमच की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली के नियम 20 के अन्तर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव।

**गृह विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. 1(ए) 36-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री यू. आर. नेताम, भापुसे., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, नारकोटिक्स, इन्डौर को दिनांक 13 से 20 फरवरी 2013 तक, कुल आठ दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 16 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री यू. आर. नेताम, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2013

क्र. एफ. 1 (ए) 274-1986-ब-2-दो.—श्री के. एल. मीणा, भापुसे., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (वि./अ.) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 15 से 23 मार्च 2013 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 24 मार्च 2013 के विज्ञप्ति अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृहनगर यात्रा के बदले भारत भ्रमण की यात्रा के तहत सपरिवार “कन्याकुमारी” की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

- |                      |         |
|----------------------|---------|
| 1. श्री के. एल. मीणा | — स्वयं |
| 2. श्रीमती कमला मीणा | — पत्नी |
| 3. श्री अजीत मीणा    | — पुत्र |

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री के. एल. मीणा, भापुसे., को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. एल. मीणा, भापुसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (वि./अ.) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) अवकाशकाल में श्री के. एल. मीणा, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. एल. मीणा, भापुसे., अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ. 1(ए) 118-1990-ब-2-दो.—श्री टी. के. घोष, भापुसे., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/निदेशक, जेएनपीए, सागर को दिनांक 18 मार्च से 6 अप्रैल 2013 तक, बीस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 16, 17 मार्च 2013 एवं 7 अप्रैल 2013 के विज्ञप्ति अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृहनगर यात्रा के बदले भारत भ्रमण की यात्रा के तहत सपलीक “मनाली (हिमाचल प्रदेश)” की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

- |                      |         |
|----------------------|---------|
| 1. श्री टी. के. घोष  | — स्वयं |
| 2. श्रीमती बनानी घोष | — पत्नी |

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री टी. के. घोष, भापुसे., को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

(3) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री के. एस. राठौर, भापुसे., उप निदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, जेएनपीए, सागर द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री टी. के. घोष, भापुसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/निदेशक, जेएनपीए, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) श्री टी. के. घोष, भापुसे., द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/निदेशक, जेएनपीए, सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्ठिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(6) अवकाशकाल में श्री टी. के. घोष, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री टी. के. घोष, भापुसे., अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 इंद्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव।

**खनिज साधन विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2013

क्र. एफ-19-5-2012-बारह-2.—खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 26

की उपधारा (2), सहपठित खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 12 के उपनियम (1) तथा नियम 26 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1, दिनांक 25 मई 2012 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 19-5-2012-बारह-2, दिनांक 16 मई 2012 को निरस्त करती है।

F. No. 19-5-2012-XII-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 26 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), read with sub-rule (1) of Rule 12 and sub-rule (1) of Rule 26 of Mineral Concession Rules, 1960, the State Government, hereby, rescinds this Department's Notification No. F-19-5-2012-XII-2, dated 16th May 2012 published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 25th May 2012.

क्र. एफ-19-5-2012-बारह-1.—खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, दिनांक 6 जुलाई 2012 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 19-5-2012-बारह-1, दिनांक 4 जुलाई 2012 को निरस्त करती है।

F. No. 19-5-2012-XII-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 26 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, rescinds this Department's Notification No. F-19-5-2012-XII-1, dated 4th July 2012 published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 6th July 2012.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेन्द्र शर्मा, अपर सचिव.

परिवहन विभाग  
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. एफ-22-5-2008-आठ.—परिवहन विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 मार्च 2011 के अनुक्रम में केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में

राज्य शासन, एतद्वारा, अध्यक्ष मानव अधिकार आयोग, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों एवं प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री के वाहन के अग्रशीर्ष भाग में लाल बत्ती का प्रयोग करने तथा परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव, संभागीय उप परिवहन अयुक्त एवं जेल विभाग के ऐसे वाहन जो जेल नियमावली में अंतर्विहित प्रावधानों के अन्तर्गत बंदियों के परिवहन हेतु प्रयुक्त हो, को उनके कार्य क्षेत्र में वाहन के अग्रशीर्ष भाग पर पीली बत्ती के प्रयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजीव कुमार झा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. एफ-22-5-2008-आठ.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजीव कुमार झा, सचिव.

Bhopal, the 25th March 2013

No. 22-5-2008-VIII.—In continuation of Notification No. Dated 4th March 2011 and powers, conferred under Rule, 108 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, the State Government hereby permits the use of Red Light on the top front of vehicle of Chairman, Human Right Commission of Madhya Pradesh all officers of Additional Chief Secretary level, and Principal Secretary to Chief Minister, and Amber Light on the top front of the vehicle of the Principal Secretary of Department of Transport, Divisional Deputy Commissioner Transport of Madhya Pradesh and such vehicles of Jai Department which are used for transportation of Prisoners under the provisions of Jail regulations in their Jurisdiction.

By order in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
SANJEEV KUMAR JHA, Secy.

## संस्कृति विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2013

क्र. एफ 11-06-2013-तीस.— राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्त्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है।

2. अतएव, मध्यप्रदेश एन्सीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्कोलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है।

3. किसी भी ऐसा आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :—

### अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	टीकमगढ़	बल्देवगढ़	बल्देवगढ़	फिला बल्देवगढ़	खसरा नं. 03	5.289 हैक्टर	लोक निर्माण विभाग म.प्र. शासन र्वाल सागर बल्देवगढ़	नहीं

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विनोद कटेला, अपर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2013

फा. क्र. 17 (ई)-83-03-इक्कीस-ब (एक)-1127-2013.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17(ई)-83-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 2, 17, 30, 52 और 92 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

### सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
“2.	अलीराजपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जोबट	श्री आनंद कुमार छापरिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जोबट.

(1)	(2)	(3)	(4)
17.	बुरहानपुर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बुरहानपुर	कुमारी सुनीता सिरिल बारलो, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बुरहानपुर
30	धार	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कुक्षी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश कुक्षी, धार	श्री आर. के. भद्रसेन, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कुक्षी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, कुक्षी, धार
52	जबलपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिहोरा	श्री श्रीराम माण्डवे, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिहोरा
92	शहडोल	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ब्यौहारी	कुमारी निर्मला चावड़ा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ब्यौहारी.”

F. No. 17(E)-83-03-XXI-B(One)-1127-2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)-83-03-XXI-B(One), dated 16th September 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th September 2010, namely :—

#### AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 2, 17, 30, 52 and 92 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be substituted, namely :—

#### TABLE

S.No.	Name of the Civil District (1)	Name of Special Court (2)	Name of the Judge of the Special Court (4)
“2.	Alirazpur	Additional Sessions Judge, Jobat	Shri Anand Kumar Chhaparia, Additional Sessions Judge, Jobat
17	Burhanpur	Ist Additional Sessions Judge, Burhanpur	Ku. Sunita Ciril Barlo, Ist Additional Sessions Judge, Burhanpur
30	Dhar	Additional Judge, Kukshi to the Court of Additional Sessions Judge, Kukshi, Dhar	Shri R. K. Bhadrasen, Additional Judge, Kukshi to the Court of Additional Sessions Judge, Kukshi, Dhar
52	Jabalpur	Additional Sessions Judge, Sehora	Shri Shriram Mandev, Additional Sessions Judge, Sehora
92	Shahdol	Additional Sessions Judge, Beohari	Ku. Nirmala Chawda, Additional Sessions Judge, Beohari.”

फा. क्र. 17 (ई)-83-03-इक्कीस-ब (एक)-1127-2013.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की

अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)-83-03-इकोसीस-ब (एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 2, 17, 30, 52 और 92 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

### सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
“2.	अलीराजपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जोबट	जोबट का विद्युत् क्षेत्र
17.	बुरहानपुर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बुरहानपुर	बुरहानपुर का विद्युत् क्षेत्र
30	धार	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कुक्षी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, कुक्षी, धार	कुक्षी का विद्युत् क्षेत्र
52	जबलपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिहोरा	सिहोरा का विद्युत् क्षेत्र
92	शाहडोल	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बौहारी	बौहारी का विद्युत् क्षेत्र.”

टिप्पणी.—विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अन्तरित हो जायेंगे।

F. No. 17(E)-83-03-XXI-B(One)-1127-2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment's in this department's Notification F. No. 17(E)-83-03-XXI-B(1), dated 16th September 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th September 2010, namely :—

### AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 2, 17, 30, 52 and 92 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be substituted, namely :—

### TABLE

S.No.	Name of the Civil District (2)	Name of Special Court (3)	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area) (4)
(1)			
“2.	Alirazpur	Additional Sessions Judge, Jobat	Electricity Area of Jobat
17	Burhanpur	Ist Additional Sessions Judge, Burhanpur.	Electricity Area of Burhanpur
30	Dhar	Additional Judge, Kukshi to the Court of Additional Sessions Judge, Kukshi, Dhar.	Electricity Area of Kukshi
52	Jabalpur	Additional Sessions Judge, Sehora	Electricity Area of Sehora
92	Shahdol	Additional Sessions Judge, Beohari	Electricity Area of Beohari.”

Note—The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly constituted court according to their territorial jurisdiction.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. डॉ. खान, प्रमुख सचिव.

## आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

### सूचना

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2013

**क्र.-एफ-3-188-2012-बत्तीस.**—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक एक सन् 2012) की धारा 23“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3-188-2012-बत्तीस, दिनांक 5 सितम्बर, 2012 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित उज्जैन विकास योजना, 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण व्यौरे निम्नानुसार है :—

### अनुसूची

क्रमांक	वर्तमान	प्रस्तावित उपांतरण पश्चात् प्रावधान
(1)	(2)	(3)
1	उज्जैन विकास योजना 2021 की सारणी क्रमांक-4-सा-10 में नोट.—शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में शासन द्वारा जनभागीदारी सुनिश्चित की गई है। अतः मध्यप्रदेश शासन एवं एन. सी. आर. टी. सी., नई दिल्ली द्वारा अनुशंसित क्षेत्रफल शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य उपयोग हेतु मान्य होंगे व उपरोक्त निर्धारित क्षेत्रफल में छूट प्रदान की जा सकेगी।	उज्जैन विकास योजना 2021 की सारणी क्रमांक-4-सा-10 में प्रस्तावित संशोधन नोट.—सुख सुविधाओं के लिये अपेक्षित न्यूनतम भूमि केवल निर्देशित है। भूखण्ड का आकार एवं अन्य शर्तें प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार एवं अन्य शर्तें विहित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किये अनुसार होगा। सारणी तदनुसार परिवर्तित मानी जायेगी।
2.	उपरोक्त उपांतरण उज्जैन विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा।	

### सूचना

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2013

**क्र.-एफ-3-4-2012-बत्तीस.**—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक तीन सन् 2012) की धारा 23“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3-4-2012-बत्तीस, दिनांक 7 दिसम्बर, 2012 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित हरदा विकास योजना 2015 में निम्न उल्लेखित शर्तों के साथ उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण व्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है :—

### अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल	विकास योजना में	उपांतरण पश्चात्
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कस्बा	58/1,	3.62	निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरित भू-उपयोग
	हरदा	58/2,	हेक्टे. में	आवासीय	वाणिज्यिक
		58/11	से 1.634		
			हेक्टेयर		
		योग . .	1.634		

(1) यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अंतर्गत देय राशि रुपये 1,98,53,100/- (रुपये एक करोड़ अन्नठानवें लाख त्रैपन हजार एक सौ रुपये मात्र) दिनांक 9 मार्च 2013 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा हरदा के चालन क्रमांक-5 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है।

(2) अतः अब निम्न शर्तों के साथ उपांतरण की पुष्टि की जाती है :—

1. वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक अंगीकृत हरदा विकास योजना 2015 के अनुसार होंगे।

2. प्रस्तुत प्रस्ताव में वाणिज्यिक क्षेत्र 50 प्रतिशत रखते हुए शेष क्षेत्र में से 40 प्रतिशत परिभ्रमण एवं वाहन पार्किंग तथा 10 प्रतिशत खुला स्थल व सुविधाओं हेतु रखा जाये।

3. वाणिज्यिक विकास हेतु मापदण्ड फर्शी क्षेत्र अनुपात अंगीकृत हरदा विकास योजना 2015 अनुसार होंगे।

उपरोक्त उपांतरण अंगीकृत हरदा विकास योजना 2015 का भाग मात्र होगा।

### सूचना

क्र.-एफ-3-27-2012-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक तीन सन् 2012) की धारा 23“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3-27-2012-बत्तीस, दिनांक 4 जुलाई, 2012 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण व्यौरै निम्नानुसार है :—

### अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	खजूरी कलाँ	723, 724	5.48 में से <u>5.00 एकड़</u> योग . .	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्ध- सार्वजनिक (शैक्षणिक)
			<u>5.00</u>		

1. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के अंतर्गत देय राशि रुपये 48,57,600/- (अड़तालीस लाख सत्तावन हजार छह सौ रुपये मात्र) दिनांक 18 मार्च 2013 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एम. पी. नगर जोन-2 शाखा, भोपाल के चालान क्रमांक 022855933/62 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है।

2. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वर्षा नावलेकर, उप सचिव।

### विभाग प्रमुखों के आदेश

आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी

मध्यप्रदेश भोपाल  
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2013

क्र. 1750-489-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा खनिज संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-खनिज प्रबन्ध (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	खनि अधिकारी
(1)	(2)	(3)	

1	कु. आशालता वैद्य	खनि अधिकारी

उच्चस्तर

संभाग

2	कु. फरहत जहौ	खनि अधिकारी

01 श्री विनीत कुमार रजक

प्रबन्धक

क्र. 1752-492-अका-विप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा खनिज संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 10 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	भोपाल संभाग	
1	कु. आशालता वैद्य	खनि अधिकारी
<b>उज्जैन संभाग</b>		
2	कु. फरहत जहौ	खनि अधिकारी

क्र. 1755-498-अका-विप्र-2013.—राज्य शासन सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-द्वितीय अनुसूचित जाति तथा आदिवासी विकास, तृतीय (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	इन्दौर संभाग	
1	श्री रविन्द्र देवडा	सहायक संचालक
	निम्नस्तर	
	भोपाल संभाग	
1	श्री आशीष कुमार शर्मा	सहायक संचालक

क्र. 1757-496-अका-विप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	भोपाल संभाग	
1	श्री प्रबोण कुमार श्रीवास्तव	सहायक संचालक
	निम्नस्तर	
	भोपाल संभाग	

2	कु. सपना खर्ते	सहायक संचालक
---	----------------	--------------

क्र. 1759-473-अका-विप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-भू-योजना, तथा विद्युत् सुरक्षा (बि. पु. के.) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
<b>भोपाल संभाग</b>		

1	कु. नेहा कौशल	उपयंत्री
2	श्री राहुल मिश्रा	उपयंत्री

#### जबलपुर संभाग

3	कु. अनी शर्मा	उपयंत्री
---	---------------	----------

क्र. 1761-460-अका-विप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-द्वितीय-तीसरा बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
<b>उच्चस्तर</b>		
	सागर संभाग	

1	श्रीमती दीपिति वनवासी	सहायक पंजीयक
---	-----------------------	--------------

क्र. 1763-481-अका-विप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8-1-2013 को प्रश्नपत्र-लेखा व स्थापना (बि. पु. के.) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
<b>भोपाल संभाग</b>		

1	कु. दीपिका सावनेर	उपयंत्री
2	श्री अमित कुमार गौर	उपयंत्री
3	कु. नेहा कौशल	उपयंत्री
4	श्री राहुल मिश्रा	उपयंत्री
5	श्री सचिन बैराणी	उपयंत्री
6	श्री सुनील कुमार डहेरिया	उपयंत्री

#### होशंगाबाद संभाग

7	श्री अतुल जैन	उपयंत्री
---	---------------	----------

#### जबलपुर संभाग

8	कु. अनी शर्मा	उपयंत्री
---	---------------	----------

#### सागर संभाग

9	श्री मुकेश मेहता	उपयंत्री
---	------------------	----------

क्र. 1765-451-अका-विप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा-चतुर्थ विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम पदनाम

(1) (2) (3)

**उच्चस्तर  
होशंगाबाद संभाग**

1 श्री राधेश्याम वर्मा सी. डी. पी. ओ.

**जबलपुर संभाग**

2 श्रीमती राजश्री मेश्वाम	परियोजना अधिकारी
3 श्री पुष्पेन्द्र रानाडे	परियोजना अधिकारी
4 श्री श्याम सिंह ठाकुर	सी. डी. पी. ओ.

**रीवा संभाग**

5 श्री विनोद परस्ते	सी. डी. पी. ओ.
6 श्री पुनीत शर्मा	सी. डी. पी. ओ.

**निम्नस्तर**

**जबलपुर संभाग**

1 श्रीमती नीतू तिलगाम परियोजना अधिकारी

क्र. 1767-477-अका-विप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र (इंशूलेशन को ऑफिनेशन व हजार्ड्स एरिया) (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम पदनाम

(1) (2) (3)

**होशंगाबाद संभाग**

1 श्री नौशाद अहमद उपर्यंत्री

**सागर संभाग**

2 श्री गोपाल प्रसाद अग्रवाल	उपर्यंत्री
3 श्री मुकेश मेहता	उपर्यंत्री

**भोपाल संभाग**

4 कु. दीपिका सावनेरे	उपर्यंत्री
5 श्री अमित कुमार गौर	उपर्यंत्री

(1)	(2)	(3)
6 कु. नेहा कौशल	उपर्यंत्री	
7 श्री राहुल मिश्रा	उपर्यंत्री	
8 श्री सचिन बैरगी	उपर्यंत्री	
9 श्री राजेश श्रीवास्तव	सहायक यंत्री	
10 श्री सुनील कुमार जोशी	उपर्यंत्री	

**शहडोल संभाग**

11 श्री कृष्ण चन्द्र द्विवेदी उपर्यंत्री

**इंदौर संभाग**

12 श्री महेश गजानन भाले उपर्यंत्री

**जबलपुर संभाग**

13 श्रीमती ज्योति यादव	उपर्यंत्री
14 कु. अनी शर्मा	उपर्यंत्री
15 श्री सनेश धुर्वे	उपर्यंत्री
16 श्री विनीत जैन	उपर्यंत्री

क्र. 1769-482-अका-विप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-स्विच गैयर तथा संरक्षण (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम पदनाम

(1) (2) (3)

**भोपाल संभाग**

1 श्री अमित कुमार गौर उपर्यंत्री

**इंदौर संभाग**

2 श्री महेश गजानन भाले	उपर्यंत्री
3 श्री दिलीप कुमार मुदगल	उपर्यंत्री

**होशंगाबाद संभाग**

4 श्री नौशाद अहमद उपर्यंत्री

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।

## निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं

### विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2013

फा.क्र. 40-वि.निर्वा.-2009-4-120-शुद्धि-पत्र.—मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 8, दिनांक 22 फरवरी, 2013 में प्रकाशित भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना का क्रमांक “82-MP-LA-(40/2009)-2012 दिनांक 10 अक्टूबर 2012” के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जाये :—

“82/MC-LA/(40/2009)/2012 दिनांक 27 अप्रैल, 2012”

एस. एस. बंसल, अपर सचिव.

### ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 27th April 2012—

7 Vaisakha, 1934 (Saka)

### NOTIFICATION

No. 82-MP-LA/(40/2009)/2012.—In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the judgement/order of the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur dated 7th April 2011 in Election Petition No. 40 of 2009 (Rajesh Patel, Petitioner Vs. Shri Surendra Patwa & Ors., Respondents) filed by Shri Rajesh Patel, challenging the Election of Shri Surendra Patwa to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 141-Bhojpur Assembly Constituency, held in November, 2008.

By Order,

Sd./-

(BERNARD JOHN)

Secretary,

Election Commission of India.

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2013

फा.क्र. 38-वि.निर्वा.-2009-4-122-शुद्धि-पत्र.—मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 8, दिनांक 22 फरवरी, 2013 में प्रकाशित भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना का क्रमांक “82-MP-LA-(38-2009)-2012 दिनांक 7 फरवरी, 2013” के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जाये :—

“82/MC-LA/(38/2009)/2012 दिनांक 29 नवम्बर, 2012”

एस. एस. बंसल, अपर सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001  
New Delhi, Dated 29th November, 2012—  
8 Agrahayana, 1934 (Saka)

### NOTIFICATION

No. 82-MP-LA/(38/2009)/2012.—In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the judgement/order of the High Court of Madhya Pradesh, principal seat at Jabalpur dated 14th August 2012 in Election Petition No. 38 of 2009 (Shri Dinesh Kumar, Petitioner Vs. Shri Brijendra Singh, Respondent) filed by Shri Dinesh Kumar, challenging the Election of Shri Brijendra Singh to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 45-Prithvipur Assembly Constituency, held in November, 2008.

By Order,

Sd./-

(BERNARD JOHN)

Secretary,

Election Commission of India.

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2013  
फा.क्र. 34-वि.निर्वा.-2009-4-124-शुद्धि-पत्र.—मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 8, दिनांक 22 फरवरी, 2013 में प्रकाशित भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना का क्रमांक “82-MP-LA-(34-2009)-2012 दिनांक 5 फरवरी 2013” के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जाये :—

“82/MC-LA/(34/2009)/2012 दिनांक 29 नवम्बर, 2012”

एस. एस. बंसल, अपर सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001  
New Delhi, Dated 29th November, 2012—  
8 Agrahayana, 1934 (Saka)

### NOTIFICATION

No. 82/MC-LA/(34/2009)/2012.—In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the judgement/order of the High Court of Madhya Pradesh, principal seat at Jabalpur dated 13th September 2012 in Election Petition No. 34 of 2009 (Shri Pawan, Petitioner Vs. Shri Brijendra Singh Rathore, Respondent) filed by Shri Pawan, challenging the Election of Shri Brijendra Singh to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 45-Prithvipur Assembly Constituency, held in November, 2008.

By Order,

Sd./-

(BERNARD JOHN)

Secretary,

Election Commission of India.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
शाजापुर, दिनांक 24 जनवरी 2013

क्र. भू-अर्जन-2013-20-प्र.क्र.-2-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

जिला	अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	आगर	1. कानड 2. सिंगावद	0.366 4.910	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर (म.प्र.).	टिल्लर बंध की मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर-3 आर. एवं 3-आर (2) माईनर के निर्माण हेतु।

नोट.—भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग आगर-बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 20 फरवरी 2013

प्र. क्र. 7-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	अगरा जागीर	22.158	भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद	सगढ़ मध्यम परियोजना के दूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन।

योग . . 22.158

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगढ़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 5 मार्च 2013

प्र. क्र. 2-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा अधिकृत अधिकारी	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	बरियारपुर बांयी नहर की सिंगारपुर वितरक नहर एवं एल-3 माइनर हेतु भू-अर्जन।

छतरपुर गौरिहार कन्दैला 0.371 अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लवकुशनगर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की सिंगारपुर वितरक नहर एवं एल-3 माइनर हेतु भू-अर्जन।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश बहुगुणा कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 5 मार्च 2013

क्र. क्यू-भू-अर्जन-331.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि

के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुका	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि का सर्वे नं.	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	करैरा	घसारई	165 167/1/मिन 1 योग . .	0.08 0.33 0.41	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी जिला शिवपुरी, म.प्र.	महुआर मध्यम परियोजना की बार्यी तट नहर की उप शाखा क्रमांक 12 के निर्माण कार्य हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

उज्जैन, दिनांक 11 मार्च 2013

क्र. भूमि संपादन-2013-1696.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	खाचरौद	बेडावनिया	0.39	भू-अर्जन अधिकारी, खाचरौद	मध्यप्रदेश सङ्केत विकास निगम, उज्जैन-जावरा-बी.ओ.टी. मार्ग हेतु भूमि का अर्जन।

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खाचरौद में देखा जा सकता है।

उज्जैन, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. भूमि संपादन-2013-1831.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों

को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	खाचरौद	बिरियाखेडी	0.33	भू-अर्जन अधिकारी, खाचरौद मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, उज्जैन-जावरा-बी.ओ.टी. मार्ग हेतु भूमि का अर्जन.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खाचरौद में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 13 मार्च 2013

क्र. क-भू.अ.वि.अ.-2011-12-5667.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
दमोह	दमोह	लाड्नवारा	9.348	संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड,
		धरमपुरा	2.324	दमोह-कटनी (एस.एच. 14) बाईपास निर्माण हेतु।
		समना रैयत	1.100	
		मड़िया पनगढ़ा	2.401	
		पिपरिया नायक	3.122	
		कुलुवा (मारुताल)	6.160	
		दमोह खास	5.910	
		योग . .	18.295	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड, डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रत्लाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रत्लाम, दिनांक 13 मार्च 2013

क्र. 1603-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 02-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(4)		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)		
रत्लाम	सैलाना	शिवजी का टापरा.	निजी शास. योग . .	04.71 00.26 <u>04.97</u>	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर-पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा, (राजस्थान).	प्रस्तावित दुंगरपुर-रत्लाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना हेतु).

(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1605-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 03-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(4)		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)		
रत्लाम	सैलाना	कुंवरपाड़ा	निजी शास. योग . .	05.84 01.62 <u>07.46</u>	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर-पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा, (राजस्थान).	प्रस्तावित दुंगरपुर-रत्लाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना हेतु).

(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1607-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 04-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की

उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रत्लाम	सैलाना	खेरखूंटा	निजी 02.03 शास. 00.27 योग . 02.30	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर-पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा, (राजस्थान).	प्रस्तावित डुंगरपुर-रत्लाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना हेतु).

(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1609-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 05-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रत्लाम	सैलाना	फतेहपुरिया	निजी 09.17 शास. 02.46 योग . 11.63	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर-पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा, (राजस्थान).	प्रस्तावित डुंगरपुर-रत्लाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना हेतु).

(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1611-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 06-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रत्लाम	सैलाना	बखतपुराकला	निजी 00.30 शास. 02.08 योग . 02.38	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर-पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा, (राजस्थान).	प्रस्तावित डुंगरपुर-रत्लाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना हेतु).

(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1613-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 07-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
रत्लाम	सैलाना	धनजी का टापरा	निजी 03.77	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर-पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा, (राजस्थान).	प्रस्तावित डुंगरपुर-रत्लाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.	

(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1615-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 08-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
रत्लाम	सैलाना	निनामा का टापरा.	निजी 03.23 शास. 01.95 योग . . 05.18	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर-पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा, (राजस्थान).	प्रस्तावित डुंगरपुर-रत्लाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.	

(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1617-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 09-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रत्लाम	सैलाना	पाटड़ी	निजी 08.81 शास. 13.63 योग . . 22.44	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर-पश्चिमी रेलवे, बांसवाड़ा, (राजस्थान).	प्रस्तावित डुंगरपुर-रत्लाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.	

(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1619-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 10-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रत्लाम	सैलाना	शिवगढ़	निजी 21.13 शास. 00.93 योग . . 22.06	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर-पश्चिमी रेलवे, बांसवाड़ा, (राजस्थान).	प्रस्तावित डुंगरपुर-रत्लाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना हेतु).	

(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1621-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 11-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रतलाम	सैलाना	झंगरापूजा	निजी 00.88 शास. 04.12 योग . . 05.00		उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर-पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा, (राजस्थान).	प्रस्तावित झंगरपुर-रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.

(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1623-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 12-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रतलाम	सैलाना	घोड़ापल्ला	निजी 11.60 शास. 17.34 योग . . 28.94		उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर-पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा, (राजस्थान).	प्रस्तावित झंगरपुर-रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.

(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1625-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 13-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की

उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रत्लाम	सैलाना	बरड़ा	निजी 00.50 शास. 00.73 योग : 01.23	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर-पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा, (राजस्थान).	प्रस्तावित डुंगरपुर-रत्लाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.
(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.					

क्र. 1627-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 14-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपर्योग के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रत्लाम	सैलाना	बंयाटोक	निजी 06.06 शास. 09.64 योग : 15.70	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर-पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा, (राजस्थान).	प्रस्तावित डुंगरपुर-रत्लाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.
(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.					

रत्लाम, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. 1714-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 15-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपर्योग के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रत्लाम	सैलाना	साकड़	निजी 11.69 शास. 02.61 योग : 14.30	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर-पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा, (राजस्थान).	प्रस्तावित डुंगरपुर-रत्लाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.
(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.					

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**  
**बुरहानपुर, दिनांक 15 मार्च 2013**

क्र. क-वाचक-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 2-अ-82-वर्ष-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शायी गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1) बुरहानपुर	(2) बुरहानपुर	(3) भोलाना	(4) 10.58 योग : <u>10.58</u>	(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर.	(6) भोलाना तालाब योजना क्र. 1 शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण.

अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**  
**देवास, दिनांक 15 मार्च 2013**

क्र. 522-भू-अर्जन-13-प्र. क्र. 1-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1) देवास	(2) बागली	(3) रूपलीपुरा	(4) 0.27	(5) अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, देवास।	(6) कांटाफोड़ से पुंजापुरा मार्ग निर्माण हेतु।

**नोट.—** भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बागली के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 18 मार्च 2013

क्र. 2808-09-18-3-13-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	ब्यावरा	कालाकोट	0.373	कार्यपालन यंत्री,	बांकपुरा सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित आबादी का अर्जन.
		चन्द्री	1.019	जल संधाधन संभाग,	
		सारस्याबे	0.175	राजगढ़.	
		कानड़ियाखेड़ी	0.170		
		कुल :	1.737		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 19 मार्च 2013

प्र. क्र. 02-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (4) की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) का वर्णन	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	खसरा का नाम		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायसेन	बेगमगंज	टिकारी	132	1.522	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र.-2, सागर.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, बेगमगंज में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 19 मार्च 2013

क्र. 297-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	खरगोन	बरड़िया	1.612	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन.	खरगोन उद्वहन सिचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी में-2 हेतु।

**नोट.—** भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 298-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	खरगोन	भाड़ली	2.149	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन.	खरगोन उद्वहन सिचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी में-2 हेतु।

**नोट.—** भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 299-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त

धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
खरगोन	खरगोन	बिजलगांव बुजुर्ग.		1.200	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन.	खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी में-2 हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 300-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
खरगोन	खरगोन	दारापुर		3.050	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन.	खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी में-2 हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 301-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
खरगोन	खरगोन	मांगरूल बुजुर्ग		4.980	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन.	खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी में-2 हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 302-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	खरगोन	नवाबपुरा	2.180	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन.	खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन-2 हेतु।

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 303-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	खरगोन	शाहपुरा	1.270	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन.	खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन-2 हेतु।

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 304-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त

धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	खरगोन	सोनीपुरा	2.400	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन. खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी में-2 हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 मार्च 2013

क्र. 2421-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के \ अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छिन्दवाड़ा	पांडुर्णा	ग्राम-धनोरा ब.नं.-201 प.ह.नं.-11 रा.नि.मं.- नांदनवाडी।	रकबा 01.524 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियाँ।	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा। उत्तमडेरा जलाशय के निर्माण से ढूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण।

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग उप-संभाग, पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 19 मार्च 2013

क्र. 633-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 79-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम\	लगभग क्षेत्रफल रकबा (हेक्टर में)	धारा 4 (2) के अंतर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
					प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
बड़वानी	अंजड	साकड	12.827	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.		हरिबड तालाब निर्माण हेतु।

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग, राजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीमन शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 20 मार्च 2013

**भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. . . . .-10-पत्र क्र. 188-भू-अर्जन-08.**—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	गौरा	3.285	कार्यपालन यंत्री, क्रमांक-07	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
		बमुरहिया	5.298	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण,	अंतर्गत नागौद सतना शाखा
		मझगावां खुर्द	1.720	सतना.	नहर के निर्माण हेतु.
		फुरताल खुर्द	3.104		
		फुरताल कला	1.271		

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

**भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 190-10-पत्र क्र. . . . .-भू-अर्जन-08.**—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	हरदुआ खुर्द	0.025	संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश	उचेहरा नागौद-कलिन्जर मार्ग
		सड़वा कोठार	0.097	सड़क विकास निगम लि.,	के निर्माण हेतु.
		नामतारा	2.091	संभाग क्र-01, रीवा.	
		बिकरा कोठार	2.861		

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 19 मार्च 2013

क्र. 3899-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसमें सम्बद्ध लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	कुराडाखाल	0.058 योग . . <u>0.058</u>	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग क्र.-2 इन्दौर (म. प्र.).	पुल निर्माण हेतु परिवर्तित (कर्व सुधार कार्य) अलाइनमेंट निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन कार्यालय, मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

## न्यायालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 20 मार्च 2013

क्र. 1073-रीडर-1-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसमें सम्बद्ध लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	रानापुर	बन	0.050	संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर.	झाबुआ-जोबट-कुक्षी राजमार्ग क्रमांक-39 पर ग्राम बन मोड़ सुधार कर नव परिवर्तित मार्ग हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ के कार्यालय एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. इन्दौर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 1075-रीडर-1-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसमें सम्बद्ध लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	रानापुर	भूरीमाटी	0.500	संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर.	झाबुआ-जोबट-कुक्षी राजमार्ग क्रमांक-39 पर ग्राम भूरीमाटी मोड़ सुधार कर नव परिवर्तित मार्ग हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ के कार्यालय एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. इन्दौर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 1079-रीडर-1-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसमें सम्बद्ध लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	झाबुआ	डेकलबड़ी	0.740	संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर.	झाबुआ-जोबट-कुक्षी राजमार्ग क्रमांक-39 पर ग्राम डेकलबड़ी मोड़ सुधार कर नव परिवर्तित मार्ग हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ के कार्यालय एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. इन्दौर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 1081-रीडर-1-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसमें सम्बद्ध लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	रानापुर	पाडलवा	0.160	संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर.	झाबुआ-जोबट-कुक्षी राजमार्ग क्रमांक-39 पर ग्राम पाडलवा मोड़ सुधार कर नव परिवर्तित मार्ग हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ के कार्यालय एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

झाबुआ, दिनांक 21 मार्च, 2013

क्र. 1214-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	थांदला	परवलिया	0.510	संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर.	थांदला-लिमडी राजमार्ग क्र. 18, टोल प्लाजा निर्माण हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) थांदला के कार्यालय में देखा जा सकता है।  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड, इन्दौर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 22 मार्च 2013

क्र. 670-वाचक-प्र.क्र. 79-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना की जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

				अनुसूची	
भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	सजवानी	4.721	कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर।	शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की वितरण शाखा नहर आमल्यापानी के अन्तर्गत आने वाली टेल माईनर आर-9 माईनर व उसकी उप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु।

**नोट:**—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना बड़वानी, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 671-वाचक-प्र.क्र. 80-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना की जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

				अनुसूची	
भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	धाबाबाबड़ी	27.500	कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर।	शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की वितरण शाखा नहर आमल्यापानी एवं अन्तर्गत आने वाली माईनर आर-5, आर-6 व उसकी उप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु।

**नोट:**—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना बड़वानी, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 672-वाचक-प्र.क्र. 81-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना की जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	बालकुआ	39.850	कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर.	शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की वितरण शाखा नहर आमल्यापानी के अन्तर्गत आने वाली बालकुआ माईनर आर-6, आर-7 एवं उसकी उप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु।
○					

**नोट:**—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना बड़वानी, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 673-वाचक-प्र.क्र. 82-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना की जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	\ (4)	(5)	(6) \
बड़वानी	बड़वानी	तलवाडा बुजुर्ग	1.200	कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर.	शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की वितरण शाखा नहर आमल्यापानी के अन्तर्गत आने वाली बालकुआ माईनर की उप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु।

**नोट:**—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना बड़वानी, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 674-वाचक-प्र.क्र. 83-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना की जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	सजवानी	21.330	कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर.	शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की वितरण शाखा नहर आमल्यापानी एवं बालकुआ माईनर नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु,
		खम			

**नोट:**— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना बड़वानी, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 677-वाचक-प्र.क्र. 86-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना की जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	रेहगुन	35.790	कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर.	शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की वितरण शाखा नहर आमल्यापानी के अन्तर्गत आने वाली माईनर, आर-7, आर-8 माईनर नहर एवं उसकी उप नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु,

**नोट:**— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना बड़वानी, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 675-भू-अर्जन-नहर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना की जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
बड़वानी	ठीकरी	काकरिया	27.214	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 ठीकरी, जिला बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की संभाग क्रमांक-14 ठीकरी, कुआँ शाखा नहर एवं उसकी डी-5 व उपनहरों के निर्माण हेतु.	

**नोट:**—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

क्र. 676-भू-अर्जन-नहर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना की जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
बड़वानी	ठीकरी	रड़कोट	9.415	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 ठीकरी, जिला बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की संभाग क्रमांक-14 ठीकरी, कुआँ शाखा नहर एवं उसकी उप नहर के निर्माण हेतु.	

**नोट:**—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

## बड़वानी, दिनांक 26 मार्च 2013

क्र. 691-वाचक-प्र.क्र.87-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता है उपबंधों की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना की जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	धमनई	23.800	कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर.	शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की वितरण शाखा नहर आमत्यापानी के अन्तर्गत आने वाली टेल माइनर, आर-9 माईनर व उसकी उप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु।

**नोट:**—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना बड़वानी, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्र. क्र. 88-अ-82-2012-13-क्र. 692-भू-अर्जन-नहर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना की जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	हसनखेड़ी	14.086	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी	इंदिरा सागर परियोजना की ठीकरी बार्यी उपनहर के निर्माण हेतु।

**नोट:**—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

शाजापुर, दिनांक 18 जनवरी 2013

प्र. क्र. 12-अ-82-2011-12-क्र. 14-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

**अनुसूची**

**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—शाजापुर
- (ख) तहसील—बड़ौद
- (ग) ग्राम—पिपल्ला जाफर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि 0.99 हेक्टेयर

खसरा सर्वे	क्षेत्रफल जो अर्जन होना है
क्रमांक	(हेक्टेयर में)
निजी	
(1)	(2)
538	0.15
512/1	0.18
501	0.09
504	0.02
503	0.07
539	0.13
502/3	0.09
541	0.23
502/2	0.01
512/2	0.01
536	0.01
कुल योग .	<u>0.99</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—कछाल मध्यम परियोजना की नहर निर्माण में आगे के कारण.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, शाजापुर में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, आगर बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

शाजापुर, दिनांक 26 फरवरी 2013

अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

**अनुसूची**

**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—शाजापुर
- (ख) तहसील—आगर
- (ग) ग्राम—विजनाखेड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि 2.87 हेक्टेयर

खसरा सर्वे	क्षेत्रफल जो अर्जन होना है
क्रमांक	(हेक्टेयर में)

निजी	(2)
(1)	(2)
74	0.07
75	0.10
77	0.10
380	0.16
470	0.35
91	0.11
94	0.11
97	0.06
99	0.09
100	0.05
101	0.03
110/1	0.07
110/2	0.08
406	0.08
111	0.02
239	0.05
113	0.14
187	0.12
115	0.02
163	0.03
164	0.06
169	0.02
166	0.06
192	0.12
383	0.12
402	0.06
403	0.08
238	0.09
102	0.03
405	0.03

(1)	(2)
193	0.10
89	0.06
92/1	0.07
112	0.02
165	0.06
93/1	0.05
योग.	<u>2.87</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—विजनाखेड़ी तालाब की नहर बन एल बन के निर्माण हेतु संपादित होने वाली भूमि बाबत्
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, शाजापुर में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, आगर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 13-अ-82-2011-12-जा. क्र. 673.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शाजापुर  
 (ख) तहसील—बड़ौद  
 (ग) ग्राम—गुराड़िया  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि 0.62 हेक्टेयर

खसरा सर्वे	क्षेत्रफल जो अर्जन होना है
क्रमांक	(हेक्टेयर में)
निजी भूमि	
(1)	(2)
781	0.22
831/2	0.06
833/1	0.04
832	0.09
835	0.11
841	0.10
कुल योग.	<u>0.62</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—कछाल मध्यम परियोजना की नहर निर्माण में आने के कारण।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, शाजापुर में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, आगर बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 14-अ-82-2011-12-जा. क्र. 672.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शाजापुर  
 (ख) तहसील—बड़ौद  
 (ग) ग्राम—खेड़ा नरेला  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि 2.21 हेक्टेयर

खसरा सर्वे	क्षेत्रफल जो अर्जन होना है
क्रमांक	(हेक्टेयर में)
निजी भूमि	
(1)	(2)
1306	0.07
1482	0.07
1480	0.07
1483	0.01
1485	0.05
1497	0.01
1498	0.06
1501	0.08
1509	0.09
1435	0.22
1524	0.07
1525	0.07
1526	0.07
1438	0.17
1488	0.03
1543	0.10
2716	0.01
2715	0.07
1545	0.02
1544	0.07
2720	0.03
2727	0.02
2728	0.01
2747	0.03
2729 मि. 1	0.05
2729 मि. 2	0.05
2740	0.04

(1)	(2)	(ग) ग्राम—जमुई
2744	0.03	(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.87 हेक्टेयर.
1549	0.07	खसरा नं. अर्जित रकवा
2746	0.03	(हे.में)
2748	0.03	(1) (2)
2750	0.02	(अ) निजी भूमि का विवरण
2754	0.13	47 0.03
2755	0.15	46 0.04
1601 मि.	0.02	44 0.05
1479 मि.	0.05	43 0.06
1441	0.02	116 0.07
2719	0.02	115 0.03
योग . .	<u>2.21</u>	195 0.02 197 0.02

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—कछाल मध्यम परियोजना की नहर निर्माण में आने के कारण.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, शाजापुर में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, आगर बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है।
- मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 8 मार्च 2013

क्र. 631-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—सिहावल

(ग) ग्राम—जमुई	(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.87 हेक्टेयर.
खसरा नं. अर्जित रकवा	(हे.में)
(1) (2)	
(अ) निजी भूमि का विवरण	
47 0.03	
46 0.04	
44 0.05	
43 0.06	
116 0.07	
115 0.03	
195 0.02	
197 0.02	
138 0.03	
137 0.01	
140 0.04	
141 0.04	
143 0.02	
144 0.02	
145 0.02	
162 0.02	
161 0.07	
180 0.01	
182 0.04	
181 0.04	
183 0.01	
194 0.03	
190 0.04	
191 0.03	
192 0.04	
योग (अ) . .	<u>0.83</u>

### (ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

196	0.02
198	0.02
योग (ब) . .	<u>0.04</u>
महायोग अ+ब . .	<u>0.87</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अतरैला माइनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 633-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

	(1)	(2)
	774	0.05
	777	0.01
	772	0.01
	770	0.01
	775	0.04
महायोग (अ) . .		1.05

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—सिहावल
- (ग) ग्राम—कोरौली खुद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.05 हेक्टेयर

खसरा नं. अर्जित रकवा

(हे. मे.) (1) (2)

#### (अ) निजी भूमि का विवरण

17	0.01
24	0.08
671	0.04
672	0.03
674	0.07
675	0.03
679	0.10
790	0.01
688	0.02
689	0.01
687	0.01
690	0.08
697	0.02
713	0.07
764	0.02
765	0.03
766	0.01
762	0.07
769	0.04
714	0.05
763	0.02
779	0.10
773	0.01

#### (ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

NIL

योग अ+ब . . 1.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पमरिया माइनर की अतरैला सब माइनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 12 मार्च 2013

क्र. 654-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—गुढ़
- (ग) ग्राम—हरदी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.030 हेक्टेयर

खसरा नं. अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)

(1)	(2)
1099/1	0.030
योग . .	0.030

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना बॉथ के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर निर्माण में आने वाले निजी भूमि/शासकीय भूमि के सम्पत्तियों के अर्जन हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।	(1)	(2)
	21/1	0.055
	21/3	0.055
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.	22/1	0.060
	22/2	0.045
	23/2	0.020
	26/2	0.040
	58/4	0.145
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	58/5	0.160
	61/2	0.070
	61/3	0.240
खरगोन, दिनांक 14 मार्च 2013	73/1/2	0.100
क्र. 282-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	73/2/1	0.085
	73/2/2	0.070
	73/3	0.050
	73/4	0.190
	74/3/1	0.200
	योग. .	3.185

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खारक जलाशय योजना की लघु नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 283-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

खसरा	रकबा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
4/1	0.220
4/92/2	0.040
5/2/1	0.040
5/2/2	0.075
7/1	0.080
7/2	0.080
8	0.175
9/2/4	0.050
11/1	0.220
12/1	0.080
12/2	0.290
12/3	0.050
12/4	0.050
13/1	0.035
19/1	0.055
19/2	0.060

### \ अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—	
(क) जिला—खरगोन	
(ख) तहसील—भगवानपुरा	
(ग) ग्राम—नया बिलवा	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.040 हेक्टेयर	
खसरा	रकबा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
52/2	0.025
52/3	0.100
52/5	0.065

(1)	(2)	(1)	(2)
52/6	0.065	126/3	0.090
52/7	0.065	126/4	0.100
52/8	0.070	141/1	0.063
54/1	0.237	142/1	0.240
54/2	0.303	142/2	0.250
102/1	0.060	255/1	0.500
102/2	0.217	257	0.200
105/1/1	0.400	258	0.287
105/2/1	0.080	262/1	0.150
105/2/2	0.150	262/2	0.250
106/1	0.250	265/3	0.075
106/2	0.250	269/1	0.290
119/1	0.075	269/2	0.020
119/2/1	0.080	275/1	0.325
119/2/2	0.070	275/2	0.050
281/6	0.090	275/3	0.050
286	0.150	332/4	0.125
288	0.080	333/3	0.250
289	0.060	334/3	0.095
304/1	0.030	337/2	0.155
304/2	0.030	338/2	0.120
304/3	0.030	341	0.095
304/4	0.045	342/1	0.250
304/5	0.025	396	0.700
312/1	0.055	402/3	0.216
312/2	0.137	402/4	0.292
313/3	0.016	408/3	0.070
313/5	0.040	409/5	0.070
316/3	0.010	410/2/1	0.100
330/4	0.050	410/2/2	0.100
332/1	0.010	410/3/1	0.050
332/2	0.265	410/3/2	0.150
332/3	0.050	410/4	0.175
119/2/3	0.063	411/1	0.600
119/2/4	0.063	411/3	0.035
119/4	0.063	412/3	0.250
119/5	0.063	412/4	0.005
120/1	0.075	413/1	0.030
120/2	0.230	428/1/1	0.075
122/1	0.100	429/1/1	0.155
124/1/1	0.363	429/1/2	0.400
124/1/2	0.028	429/2	0.125
124/2	0.155	430/3	0.200
126/1	0.337	434/1	0.700
126/2/2	0.237	યોગ.	14.040

(2)	(1)	(2)
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खारक जलाशय योजना की मुख्य एवं लघु नहर के निर्माण हेतु.	675/1ख	0.025
	675/1क	0.030
	675/2	0.050
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.	675/3/क	0.178
	675/3/ख	0.295
	675/3/ग	0.025
	672/1/क/6	0.065
	674	0.282
	673	0.025
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	737/672	0.460
	738/672	0.035
	672/1/क/2	0.146
	672/1/क/3	0.293
	672/1क/4	0.355
	672/1क/5	0.345
	649/1/क/1	0.075
	649/1/क/2	0.071
	649/1/ख	0.120
	649/1/ग	0.115
	649/2	0.010
	757/649/क/2/क	0.220
	757/649/क/2/ख	0.251
	757/649/क/2/ग	0.224
	666	0.387
	665	0.052
	699	0.408
	700	0.052
	698	0.543
	702	0.015
	692	0.125
	696	0.050
	691	0.010
	693	0.052
	694	0.052
	695	0.052
	निजी खाता भूमि योग रकबा . .	7.542

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

सतना, दिनांक 20 मार्च 2013

क्र. एफ-189-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—मैहर
- (ग) नगर/ग्राम—चपना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—7.542 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
618/2 ग	0.564
618/2 ख	0.136
618/2क/2	0.345
740/618	0.125
622	0.377
621	0.157
620/1	0.031
620/2	0.042
619/2	0.251
675/1ग	0.021

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. एफ-189-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)	(2)
(क) जिला—सतना	540/1ख
(ख) तहसील—मैहर	541/1ख
(ग) नगर/ग्राम—बरहिया	540/2
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.453 हेक्टर.	541/2
खसरा	539/1
नम्बर	अर्जित रकबा
।	(हेक्टर में)
(1)	(2)
1298	0.523
1261/2	0.350
1261/1	0.730
1293	0.025
1292/1	0.021
1291/1	0.010
1291/2	0.063
1292/2	0.016
1268	0.235
1269	0.261
1270	0.005
1273/1	0.042
1274/1	0.265
1279/1	0.052
1280/1	0.100
1279/2	0.008
1278/1क	0.021
1278/1ख	0.082
1278/2	0.084
1275	0.015
542	0.052
543	0.052
544	0.010
434	0.042
435	0.229
540/1क	0.130
541/1क	0.032
539/2क	0.005
निजी खाता भूमि योग रकबा	6.453
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.	
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.	

क्र. एफ-189-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	(1)	(2)
अनुसूची	915/4	0.038
(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)	914/5	0.021
(क) जिला—सतना	1803/957	0.178
(ख) तहसील—मैहर	960/1	0.418
(ग) नगर/ग्राम—जूरा	959	0.115
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.872 हेक्टर.	960/2	0.130
	664	0.010
खसरा	अर्जित रकबा	662/2
नम्बर	(हेक्टर में)	966/2
(1)	(2)	663
		666
805/1	0.042	655
802/1	0.063	668
807/1	0.010	667
812/1	0.157	670/1
805/2	0.042	669/1
802/2	0.021	670/2
807/2	0.020	669/2
812/2	0.146	650/1
806	0.219	649
811	0.251	671
809	0.005	646/1
810	0.385	646/2
922/1	0.178	647/2
922/3	0.125	645
922/2	0.094	588
889	0.031	592
888	0.060	593
921	0.400	594
916	0.230	610
917	0.070	609
957	0.385	605
912/1	0.063	612
912/4	0.073	613
915/1	0.038	614

(1)	(2)	(1)	(2)
615	0.431	42/1	0.052
606/2	0.773	41/1	0.016
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	<u>9.872</u>	42/4	0.308
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.		41/4	0.015
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.		42/3	0.250
क्र. एफ-189-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		41/3	0.010
		40	0.377
		39	0.015
		37/3	0.015
		38/3	0.010
		निजी खाता भूमि योग रकबा . .	<u>2.234</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

#### (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—मैहर
- (ग) नगर/ग्राम—जरूआ नरवार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.234 हेक्टर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
68	0.209
70	0.100
71	0.084
50/1	0.178
51/1	0.031
50/2क	0.084
51/2क	0.011
50/2ख	0.084
51/2ख	0.011
50/2ग	0.084
51/2ग	0.010
52/1	0.070
52/2	0.070
52/3	0.070
52/4क	0.035
52/4ख	0.035

क्र. एफ-189-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला—सतना
  - (ख) तहसील—मैहर
  - (ग) नगर/ग्राम—नादन शिवाप्रसाद
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल—14.343 हेक्टर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
727	0.177
80/2	0.575
102/2	0.021
19	0.031
731	0.209
730	0.021

(1)	(2)	(1)	(2)
733/1	0.318	685/1	0.105
732	0.031	684/2	0.037
733/2	0.159	686/2	0.042
318/1	0.045	685/2	0.899
733/3	0.045	308/1क	0.120
734	0.042	308/1ख	0.020
736	0.021	310	0.485
712	1.254	311/2	0.314
709	0.073	317/1	0.021
708/2	0.042	312/2	0.010
705	0.052	317/2	0.450
704	0.010	318/3	0.010
707	0.052	298	0.042
706	0.073	286/1	0.525
710	0.627	80/1क/1	0.094
666	0.025	31/2/क	0.005
667	0.105	286/3	0.021
670	0.345	285/2	0.010
669	0.230	31/1	0.010
301/1	0.470	285/1	0.031
302/1	0.021	31/2/ख	0.177
680/1क	0.313	261	0.010
701/1क	0.021	260/1	0.195
680/1क	0.313	264	0.105
701/1क	0.021	266	0.290
680/1ख	0.314	265	0.021
701/1ख	0.021	267	0.021
301/2	0.397	79	0.010
302/2	0.021	80/1क/2	0.063
680/2	0.084	80/1/ख	0.199
701/2	0.021	80/1/ग	0.105
681	0.251	81/1	0.052
689/2	0.125	81/2	0.052
687/2	0.021	101	0.209
688/2	0.021	91/1/क	0.505
311/1	0.042	91/1/ख	0.188
684/1	0.036	90/1	0.157
686/1	0.042	90/2	0.262

(1)	(2)
92/1/क	0.063
88	0.376
89/2	0.146
59/2/ग	0.105
59/2/ख	0.031
24	0.366
22	0.052
29	0.220
30/1/क	0.099
30/1/ख	0.099
30/2/क	0.050
32	0.060
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	<u>14.343</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि के लिए अर्जन आवश्यक है—नर्मदा धाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. एफ-189-भू-अर्जन-13-20-3-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—मैहर
- (ग) नगर/ग्राम—करोदी दुबे
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.946 हेक्टर।

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
830/1क	0.084
830/1ख	0.042
830/2	0.005
832/1ख	0.125
831	0.575
832/1क	0.115
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	<u>0.946</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—नर्मदा धाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. एफ-189-भू-अर्जन-13-20-3-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—मैहर
- (ग) नगर/ग्राम—तमोरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.489 हेक्टर।

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
383	0.125
363	0.105
364	0.031
362	0.021
355	0.045
356	0.005
352	0.021
365	0.052
366	0.052
361	0.052
360	0.042
359	0.010
358	0.042
357	0.052
340	0.230
346	0.021
347	0.073
349	0.052
350	0.063
348	0.052
351	0.052
341	0.042

(1)	(2)	(1)	(2)
342	0.005	1045/2	0.357
338	0.010	1045/1	0.273
255	0.052	1049	0.385
256	0.035	1125	0.439
339	0.073	1126	0.293
254	0.052	1127	0.157
253	0.345	1124	0.230
250	1.620	1123	0.440
205	0.021	1121	1.620
204	0.575	1122	0.052
203	0.370	1055	0.053
202/1	0.055	1056/3	0.052
202/2	0.005	1057/3	0.105
187/1	0.031	1050	0.031
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	<u>4.489</u>	1058	0.265
		1118	0.314

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ-189-भू-अर्जन-13-20-3-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना	1091/1	0.418
(ख) तहसील—मैहर	1090/3	0.052
(ग) नगर/ग्राम—बठिया	1090/2	0.005
(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.663 हेक्टर।	1092/2	0.773
खसरा	अर्जित रकबा	1086
नम्बर	(हेक्टर में)	1084
(1)	(2)	1088
1043	0.836	निजी खाता भूमि योग रकबा . .
1044/2	0.230	<u>14.663</u>
1044/3/2	0.052	
1044/4	0.457	
1044/3/1	0.063	
1044/1	0.063	
1044/5	0.370	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ-191-भू-अर्जन-13-20-3-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	(1)	(2)
<b>अनुसूची</b>		
(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)		
(क) जिला—सतना	412/3ख	0.405
(ख) तहसील—मैहर	412/6क2	0.84
(ग) नगर/ग्राम—बुढ़ेरुआ	412/6क3	0.083
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.256 हेक्टर.	412/6ख	0.545
खसरा	287/2क	0.505
नम्बर	427/1क	0.012
(1)	(हेक्टर में)	
396/1	427/1ख	0.012
396/2	432/2	0.053
396/3क	430/1ख	0.009
396/3ख	428/2	0.005
396/3ग	430/2	0.019
399/1	432/1	0.200
399/2	430/1क	0.010
399/3क	431/2	0.052
399/3ख	432/4	0.012
400	431/1	0.162
401	432/3	0.011
412/4	429/1	0.063
426	345/4क	0.005
343	344/4क	0.094
342	345/4ख	0.005
407/3	345/4ख	0.094
402/1	345/5	0.010
403/1	344/5	0.010
407/1	348/2	0.173
410 \	346/1	0.068
407/2	347/2	0.021
412/7	346/2	0.068
287/1	348/1	0.115
290/1	434/1	0.305
340	435	0.250
341	436/1	0.243
402/2	322/1	0.063
403/2	323/1	0.040
404	436/2	0.165
407/5	323/2	0.015
412/2	322/3	0.010
408/2	436/3	0.215
406	0.022	

(1)	(2)	प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—
344/1	0.125	अनुसूची
345/1	0.010	(1) भूमि का वर्णन—
344/2	0.060	(क) जिला—सिंगरौली
345/2	0.010	(ख) तहसील—सिंगरौली
345/3	0.011	(ग) पटवारी हल्का नंबर—बलियरी 41
287/2क1	0.596	(घ) ग्राम—बलियारी
325	0.230	(ङ) लगभग क्षेत्रफल—2.803 हेक्टेयर
324	0.115	खसरा रकबा
287/2क3	0.063	नम्बर (हे. में)
288/1	0.413	(1) (2)
289/1	0.021	226/3/8/1 0.008
44	0.063	226/3/8/11 0.004
288/2	0.140	226/3/8/13 0.004
289/2	0.021	226/3/8/15 0.004
329	0.010	226/3/8/17 0.004
328	0.135	226/3/8/19 0.004
292	0.324	226/3/8/20 0.004
293	0.105	226/3/8/22 0.004
294/3	0.250	226/3/8/24 0.002
294/1	0.085	226/3/8/26 0.004
42	0.070	226/3/8/28 0.004
439/2ख	0.005	226/3/8/3 0.010
439/2क	0.005	226/3/8/31 0.006
413	0.010	226/3/8/33 0.006
407/6क	0.004	226/3/8/35 0.004
407/6 ख	0.004	226/3/8/37 0.002
407/6ग	0.003	226/3/8/39 0.004
440/1	0.007	226/3/8/8 0.023
440/2 क	0.007	226/3/8/10 0.004
440/2 ख	0.007	226/3/8/12 0.006
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	<u>12.256</u>	226/3/8/14 0.004
(2)		226/3/8/16 0.004
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यवर्तन योजना अन्तर्गत रीवा शाखा नहर निर्माण हेतु।		226/3/8/18 0.004
(3)		226/3/8/2 0.002
भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।		226/3/8/21 0.004
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		226/3/8/23 0.004
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		226/3/8/25 0.004
सिंगरौली, दिनांक 11 मार्च 2013		226/3/8/27 0.012
प्र. क्र. 1450.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक		226/3/8/29 0.004
		226/3/8/30 0.012
		226/3/8/32 0.006
		226/3/8/34 0.004
		226/3/8/36 0.004
		226/3/8/38 0.002

(1)	(2)	(1)	(2)
226/3/8/40	0.004	226/3/8/70	0.006
226/3/8/42	0.004	226/3/8/72	0.008
226/3/8/44	0.004	226/3/8/74	0.008
226/3/8/46	0.004	226/3/8/76	0.006
226/3/8/48	0.004	226/3/8/78	0.004
226/3/8/5	0.012	226/3/8/8	0.012
226/3/8/51	0.004	226/3/8/81	0.004
226/3/8/53	0.004	226/3/8/83	0.004
226/3/8/55	0.004	226/3/8/85	0.004
226/3/8/57	0.004	226/3/8/87	0.004
226/3/8/59	0.004	226/3/8/89	0.012
226/3/8/60	0.004	226/3/8/90	0.002
226/3/8/62	0.002	358/1/2	0.004
226/3/8/64	0.004	358/1/2/2	0.025
226/3/8/66	0.004	358/1/2/4	0.025
226/3/8/68	0.002	358/1/3	0.012
226/3/8/7	0.006	358/2/1	0.165
226/3/8/71	0.006	358/2/3	0.060
226/3/8/73	0.008	358/2/5	0.060
226/3/8/75	0.006	358/3/1	0.024
226/3/8/77	0.006	358/3/4	0.024
226/3/8/79	0.004	358/3/6	0.024
226/3/8/80	0.002	358/4/1क	0.083
226/3/8/82	0.004	358/4/1ग	0.024
226/3/8/84	0.004	358/4/1ड	0.024
226/3/8/86	0.004	358/4/10	0.024
226/3/8/88	0.006	358/4/3	0.202
226/3/8/9	0.004	358/4/5	0.024
358/1/1	0.292	358/4/7	0.024
358/1/2/1	0.078	358/4/9	0.024
358/1/2/3	0.025	72/3/ख2	0.103
358/1/2/5	0.025	72/3/ख4	0.103
358/1/5	0.020	358/3/3	0.022
358/2/2	0.060	358/3/5	0.024
358/2/4	0.060	358/3/7	0.024
358/3	0.051	358/4/1ख	0.024
358/3/2	0.022	358/4/1घ	0.024
226/3/8/4	0.006	358/4/1च	0.024
226/3/8/41	0.004	358/4/2	0.058
226/3/8/43	0.004	358/4/4	0.202
226/3/8/45	0.004	358/4/6	0.024
226/3/8/47	0.004	358/4/8	0.024
226/3/8/49	0.004	72/3/ख	0.104
226/3/8/50	0.004	72/3/ख/3	0.103
226/3/8/52	0.004	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—एन.टी.पी.सी. विष्यनगर ऐश डाईक के निर्माण के लिए ग्राम बलियारी की भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन।	
226/3/8/54	0.004	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी तहसील सिंगराली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।	
226/3/8/56	0.004	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलबेन्नन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।	
226/3/8/58	0.004		
226/3/8/6	0.006		
226/3/8/61	0.004		
226/3/8/63	0.002		
226/3/8/65	0.004		
226/3/8/67	0.004		
226/3/8/69	0.006		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—एन.टी.पी.सी. विष्यनगर ऐश डाईक के निर्माण के लिए ग्राम बलियारी की भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी तहसील सिंगराली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलबेन्नन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।